भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1178
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के डायलिसिस केन्द्र

1178. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:
श्री मनोज कोटक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस (पीएमएनडीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;
(ख) देश में वस्कुलर सर्जनों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में पीएमएनडीपी के सभी डायलिसिस केन्द्रों का संचालन वस्कुलर सर्जनों के अधीन किया जा रहा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आर्टेरियोवेनस फिस्टुला (एवी) के लिए क्या व्यवस्था उपलब्ध है; और
(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ): पुराने किडनी रोग (सीकेडी) के रोगियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी लाभार्थियों को देश के सभी जिला अस्पतालों में नि:शुल्क डायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। पीएमएनडीपी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड और इन-हाउस मोड दोनों में कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय

डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के कार्यान्वयन में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करता है। पीएमएनडीपी को कुल 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1442 डायलिसिस केंद्रों में कार्यान्वित किया गया है। महाराष्ट्र में, पीएमएनडीपी को सभी 36 जिलों में 58 डायलिसिस केंद्रों पर कार्यान्वित किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) स्कीम के तहत कवर नहीं किए गए बीपीएल रोगियों के लिए पीएमएनडीपी के तहत 6000 रुपये के शुल्क नेटिव आर्टिरियोविनस फिस्टुला (प्रोस्थिसिस रहित) के लिए एकमुश्त सहयोग प्रदान करना शामिल है।

देश में वस्कुलर संबंधी शल्य चिकित्सकों की संख्या से संबंधित ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****